भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2749
दिनांक 16 दिसंबर, 2025 / 25 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

गैर-भारतीय मूल के व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त करना

2749. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-भारतीय मूल के लोगों, विशेषकर कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले तथा भारतीय विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की संपत्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की है; और

(ख) क्या उक्त लोगों के बैंक खाते बंद कर दिए गए हैं या उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं या उनके द्वारा भारत की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): भारत विरोधी गतिविधियों में गैर-भारतीयों की भागीदारी और समर्थन के उदाहरण सामने आए हैं। भारत सरकार ने अपने राजनयिक मिशनों और पोस्टों के माध्यम से मेजबान सरकारों से संपर्क किया है और उनसे न केवल अपने संबंधित घरेलू कानूनों के तहत इन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है, बल्कि प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय परम्पराओं के अनुसार हमारी राजनयिक संपत्तियों और कर्मियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा, समय-समय पर जारी वीज़ा मैनुअल, नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे गैर-भारतीयों की भारत में यात्रा निषिद्ध है जो इन गतिविधियों में शामिल है।

****